

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 144/2024 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

अशोक स्वर्णकार ----- प्रथम पक्ष

बनाम्

शम्भु पाण्डेय ----- द्वितीय पक्ष

आदेश

11-11-24

प्रथम पक्ष अशोक स्वर्णकार के आवेदन पर थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन (ज्ञापांक-12, दिनांक 11.09.2024) पर संतुष्ट होकर निम्नलिखित विवरण वाले भूमि पर लोकपरिशांति भंग होने की संभावना पर दिनांक 13.09.2024 को निषेधाज्ञा प्रवृत्त कर उभय पक्ष को उक्त विवादग्रस्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य किए जाने से प्रतिबंधित किया गया।

मौजा- सिंगदाहा, थाना- सरिया, जिला- गिरिडीह

खाता नं०- 47, प्लॉट नं०- 25, रकबा- 6.20 डी०

चौहद्दी : उ०- शंभु पाण्डेय, द०- श्याम पाण्डेय वगैरह, पू०- चन्द्रदेव पाण्डेय वगैरह, प०- रास्ता

नोटिस निर्गत कर उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपना - अपना पक्ष रखा।

प्रथम पक्ष का कहना है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि बकास्त खाते की है तथा खतियान छत्रधारी पाण्डेय के नाम से दर्ज है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय सरिया के मौजा सिंगदाहा के पंजी-II के भाग संख्या- 01 पृष्ठ सं०- 122 पर दर्ज है। उक्त बकास्त खतियानी रैयत के वंशज पार्वती देवी को उक्त विवादग्रस्त भूमि सहित कुल 27.86 डी० भूमि का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी निर्गत है। प्रथम पक्ष की माँ गौरा देवी को निबंधित केवाला 2022/GIR/3507/BK1/3264 दिनांक 16.09.22 से उक्त भूमि विक्रेता पार्वती देवी से हासिल है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में दो निबंधित केवाला (एक विक्रय पत्र तथा एक rectification deed) की छायाप्रति, एक भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की छायाप्रति, एक ऑनलाइन पंजी-2 की छायाप्रति, एक ऑफलाइन रसीद की छायाप्रति दाखिल करते हैं।

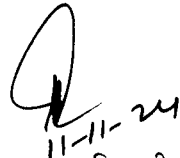
वही दूसरी ओर द्वितीय पक्ष अपने लिखित कारण पृच्छा में बयान

करते हैं कि उन्हें यह भूमि एक लिखित एकरारनामा (Agreement) सदामदी दिनांक 19.03.2016 द्वारा पार्वती देवी से हासिल है। अपने दावे के समर्थन में द्वितीय पक्ष एक एकरारनामा की छायाप्रति दाखिल करते हैं।

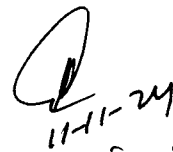
दाखिल कारण पृच्छा का अध्ययन करने, राजस्व संबंधी कागजातों का अवलोकन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम पक्ष जिस विक्रेता से निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा हासिल भूमि पर दावा करते हैं द्वितीय पक्ष उसी विक्रेता से एकरारनामा (Agreement) के आधार पर प्राप्त भूमि पर अपना दावा करते हैं। भूमि अंतरण के मामले में निबंधित विक्रयपत्र (Registered Sale Deed) एक वैध माध्यम (instrument) है जबकि एकरारनामा (Agreement) सिर्फ भविष्य में होने वाले अंतरण को बल प्रदान करता है। चूँकि विक्रेता पार्वती देवी ने निबंधित विक्रय पत्र से विवादग्रस्त भूमि का अंतरण प्रथम पक्ष की माँ गौरा देवी को किया है तथा पुनः चौहद्दी सुधार हेतु एक Rectification Deed भी कारित किया है जिससे इस दावे को बल मिलता है कि भूमि की वैध उत्तराधिकारी पार्वती देवी ने प्रथम पक्ष को स्वेच्छा से तथा कानूनी रूप से स्वीकार्य तरीके से भूमि का अंतरण किया है अतः उक्त भूमि पर प्रथम पक्ष का दावा अधिक मजबूत प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त (vacate) तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष (absolute) घोषित किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया



अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया